न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री औमप्रकाश शर्मा आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
05 / 18	31.07.2018	20.8.2018

अनुवान

1. रतनलाल पुत्र स्व0 रम्मल जाति कुम्हार निवासी घीकाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

–अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत घीकाका पंचायत समिति कोटकासिम जरिये सरपंच ग्राम पंचायत घीकाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
2. बिशनलाल
3. फूलसिंह पुत्रान रम्मल
4. बिमला देवी पत्नी जगदीश
5. कृष्ण कुमार
6. सोनु पुत्रान जगदीश
7. प्रेमलता पत्नी महेन्द्र
8. राकेश कुमार
9. दीपक कुमार पुत्रांन महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी घीकाका तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा मातहत न्यायालयग्राम पंचायत घीकाका दिनांक 26.11.2001
इन्तकाल संख्या 707 बमुराद मनसुख कियेजाने आज्ञा उक्त वो स्वीकार किया
जाने अपील अपीलान्टस व अन्य दीगर दादरसी

उपस्थितः–

1. श्री गिरधारीलाल शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री राकेश कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 2 लगा0 9

अपीलान्ट ने मय वकील इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक अपील इस आशय की पेश कि मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत घीकाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 की आज्ञा दिनांक 26.11.2001 की है जिसकी जानकारी मिन अपीलान्टस को दिनांक 30.07.2018 को हुई दफा 5 कानूनी मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्टस अवधि पेश है। मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत घीकाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 की आज्ञा दिनांक 26.11.2001 की है जो श्रीमान की के क्षेत्राधिकार में पारित की गई है। अतः अपील हाजा काबिल समाअत अदालत श्रीमान है। अपील हाजा पर व तलबाना पर 2 / –रू0 न्याय शुल्क चस्पा कर पेश है । आलोच्य आदेश मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत घीकाका तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0 दिनांक 26.11.2001 का है की जिससे प्रिज्युडिस होकर अपील हाजा पेश की जा रही है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

हाल आराजी ख0न0 1042/906 रकबा 0.26 है0 1074/907 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 दर्ज खाता 185 वाके ग्राम घीकाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है की जो मृतक रम्मल पुत्र श्री पैमला कुम्हार ग्राम घीकाका की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसका विरासत का इन्तकाल संख्या 707 उसके वारिसान एवं मिन अपीलान्टस के नाम दर्ज़ व विधिवत रूप से स्वीकार किया गया है लेकिन सहवन से मिन अपीलान्स का नाम दुलीचन्द पुत्र रम्मल दर्ज कर दिया गया और उक्त इन्तकाल को बिना जॉच पडताल किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा तस्दीक फरमा दिया गया। जबकि मिन अपीलान्ट का रतनलाल पुत्र रम्मल है जो आज्ञा मातहत न्यायालय हर सूरत में काबिले अपास्त है। मिन अपीलान्ट का नाम रतनलाल है जो मेरे समस्त समस्त कागजात आधार कार्ड, मतदाता, राशन कार्ड एवं दीगर आराजीयात के विरासत के इन्तकाल में दर्ज है । लेकिन सहवन से इन्तकाल संख्या 707 में मेरा नाम दुलीचन्द पुत्र रम्मल दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। जिसके स्थान पर रतनलाल पुत्र रम्मल दर्ज किया जाना निहायत जरूरी एवं आवश्यक है। जिस गलत अंकन को दुरूस्त कराने हेतु तहसीलदार साहब कोटकासिम से कहा कि जिनके द्वारा सक्षम न्यायालय अपील दायर कर सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा । इसलिए अपील अपीलान्ट प्रार्थना पत्र दफा 5 के साथ अविलम्ब पेश है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किये। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से जवाब संलग्न है। रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 9 की ओर से इकबाल जवाब पेश किया गया है। जिसमें अंकित किया कि इन्तकाल संख्या 707 ग्राम घीकाका में दुलीचन्द का नाम हजफ कर रतनलाल पुत्र रम्मल जाति कुम्हार ग्राम घीकाका दर्ज कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ती नही है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सरपंच ग्राम पंचायत घीकाका ने भी अपने जवाब में यही कहा की दुलीचन्द के स्थान पर रतनलाल किया जावे। इनको में अच्छी तरह से जानती हूँ।

विद्वांन अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। विद्वांन अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी अपील में अंकित तत्थ्यों को दौहराया और कहा कि अपील विरूद्ध आज्ञा मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत घीकाका दिनांक 26.11. 2001 इन्तकाल संख्या 707 ग्राम घीकाका तहसील कोटकासिम मै विवादित आराजीयात जो मृतक रम्मल पुत्र पैमला कुम्हार ग्राम घीकाका की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिसका विरास्त का इन्तकाल संख्या 707 उनके वारिसान एवं मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व स्वीकार विधिवत रूप से किया गया। उक्त इन्तकाल की बिना जॉच पडताल किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा मिन अपीलान्ट का नाम रतनलाल स्थान पर दुलीचन्द कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट के आधारकार्ड, निर्वाचन पंहचान पत्र , पारिवारिक राशनकार्ड में नाम रतनलाल दर्ज है। इसलिए निवेदन है कि अपीलान्ट का नाम इन्तकाल संख्या 707 ग्राम घीकाका में दुलीचन्द के स्थान पर रतनलाल दुरूस्त किया जावे।

विद्वांन अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । आधारकार्ड, निर्वाचन पंहचान पत्र , पारिवारिक राशनकार्ड मे अपीलान्ट का नाम रतनलाल अंकित है, जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में दर्ज खाता संख्या 44 ग्राम घीकाका में दुलीचन्द अंकित है व सरपंच ग्राम पंचायत घीकाका द्वारा जारी प्रामाण पत्र में भी दुलीचन्द के स्थान पर रतनलाल किये जाने के तथ्य पेश किये है। इसलिए अपीलान्ट का नाम दुलीचन्द के स्थान पर रतनलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। हाल जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम दुलीचन्द पुत्र रम्मल के स्थान पर रतनलाल पुत्र रम्मल किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 20/08/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

20/8/18

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

Scanned by CamScanner